



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1943 (श10)
(सं0 पटना 1043) पटना, वृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर 2021

IE 2@lhE&10177&2008&13150@lk0ç0
lkekU; i:'kklu foHkkx

ldYi

3 नवम्बर 2021

श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-871/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, अरवल के विरुद्ध इंदिरा आवास मद में उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत तक व्यय नहीं करने, प्रधान मंत्री इंदिरा आवास एवं बुनियादी इंदिरा आवास योजना की राशि को जमा नहीं करने, इंदिरा आवास के तहत चयनित लाभुकों के संबंध में विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराने, स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु जमीन का चयन नहीं किये जाने इत्यादि आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापांक 2174 दिनांक 29.11.2008 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10394 दिनांक 19.10.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालित पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 28 दिनांक 10.03.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 5670 दिनांक 15.04.2015 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में श्री सिंह के दिनांक 07.05.2015 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त बचाव अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 11050 दिनांक 31.07.2015 द्वारा अग्रेतर जाँच करने का अनुरोध किया गया।

संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 326 दिनांक 04.02.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध कुल-19 आरोपों में से आरोप संख्या-01, 12, 13, 15, 16, 18 अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-14 आंशिक प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 19 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आंशिक एवं प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 3882 दिनांक 17.03.2020 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा बचाव बयान/अभ्यावेदन की मांग की गयी, किन्तु स्मारित किये जाने के बावजूद भी श्री सिंह से बचाव बयान अप्राप्त रहा।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के विरुद्ध प्रमाणित आरोप मुख्यतया वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं लापरवाही से संबंधित है। साथ ही उनके द्वारा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में घोर लापरवाही बरतने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील नहीं रहने से संबंधित है। इस आशय का सभी आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। श्री सिंह द्वारा प्रमाणित आरोपों पर अपना बचाव बयान लगातार स्मारित किये जाने के बावजूद भी नहीं दिया जाना उनके कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत (i) **देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं (ii) संचयी प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धियों पर रोक** का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

विभागीय पत्रांक 5156 दिनांक 28.04.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री सिंह के विरुद्ध विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग की गई। आयोग के पत्रांक 838/लो0से0आ0 दिनांक 09.07.2021 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-871/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, अरवल सम्प्रति उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8071 दिनांक 04.08.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत (i) **देय तिथि से पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं (ii) संचयी प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धियों पर रोक** दंड संसूचित किया गया।

उपर्युक्त दंड पर विचार हेतु श्री सिंह द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। श्री सिंह का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में मूल रूप से कहना है कि :-

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप की मदों की समीक्षा नहीं कर सीधे संचालन/जाँच पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर ही दंडादेश पारित कर दिया गया। संचालन पदाधिकारी ने उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य को ही बिना साक्ष्य के प्रमाणित कर दिया। इनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है एवं नियम-17 के अनुकूल नहीं है। इनके द्वारा पक्ष रखने हेतु जिन कागजातों की मांग की जा रही थी, उसे उपस्थापन पदाधिकारी देने में असमर्थ रहे थे। जाँच पदाधिकारी के दबाव में वाद के निस्तारण हेतु इन्होंने कागजातों के अभाव में ही यथा संभव लगाये गए आरोपों के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट किये। इनका कार्य अन्य प्रखंड विकास पदाधिकारियों की तुलना में अच्छा था, फिर भी आरोप-पत्र में वर्णित पत्रों में किसी कदाचार अथवा अवचार का वर्णन नहीं रहने के बावजूद किन साक्ष्यों के आधार पर कुछ आरोपों को प्रमाणित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में इनके द्वारा बचाव अभ्यावेदन दिनांक 13.04.2021 को विभाग में हस्तगत कराया था, जिसे संज्ञान में नहीं लिया गया एवं एकतरफा दंडादेश पारित कर दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य पर ही बिना किसी ठोस साक्ष्य (Material fact) के सहमत होना एवं कुछ आरोपों को अप्रमाणित किया जाना एवं मांगी गई कागजात को उपलब्ध नहीं कराने के बावजूद इनके विरुद्ध कुछ आरोपों को प्रमाणित करना एवं इनके पक्ष को नहीं सुनना, संपूर्ण प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त (Rule of Natural Justice) के विपरीत है तथा संपूर्ण प्रक्रिया दोषपूर्ण एवं एकतरफा है।

श्री सिंह से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। श्री सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्यतया उनके विरुद्ध नियमानुकूल विभागीय कार्यवाही नहीं चलाये जाने का उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि उनके विरुद्ध नियमानुकूल आरोप-पत्र गठन नहीं किया गया है। आरोप के मदों के समर्थन में कदाचार लांछणों का कोई सार लेखाबद्ध नहीं किया गया है। उनका यह भी कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य पर ही बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिना समीक्षा के संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आधार पर वृहत दंड अधिरोपित किया गया है। श्री सिंह के द्वारा तत्कालीन जिला पदाधिकारी के विरुद्ध अनियमित कार्यों में साथ नहीं देने एवं जातिय दुर्भावनावश आरोप-पत्र गठित किये जाने का आरोप लगाया गया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री सिंह के द्वारा अपने अभ्यावेदन में विभागीय कार्यवाही के पूरे प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया गया है। उनके द्वारा अपने तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाया गया है। साथ ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियमानुकूल कार्यवाई नहीं किये जाने का भी उल्लेख किया गया है। श्री सिंह के द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर अपने बचाव में किसी भी बिन्दु का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री सिंह के विरुद्ध इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरते जाने इत्यादि से संबंधित आरोप प्रतिवेदित है। श्री सिंह के विरुद्ध कुल-20 प्रतिवेदित आरोप में से संचालन पदाधिकारी द्वारा 12 (बारह) आरोप को प्रमाणित एवं 01 (एक) आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य पर श्री सिंह को स्मारित किये जाने के बावजूद भी लिखित अभिकथन समय पर समर्पित नहीं किया गया है। लिखित अभिकथन अप्राप्त रहने पर प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध दंड विनिश्चित किया गया एवं विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य प्राप्ति उपरांत शास्ति अधिरोपित किया गया है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सिंह के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8071 दिनांक 04.08.2021 द्वारा अधिरोपित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 871/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र-वंशी-सूर्यापुर, अरवल के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8071 दिनांक 04.08.2021 द्वारा अधिरोपित दंड (i) देय तिथि से पाँच वर्षों के लिए प्रोन्नति पर रोक एवं (ii) संचयी प्रभाव के साथ पाँच वेतनवृद्धि पर रोक को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1043-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>